

प्रेस नोट दिनांक 30.08.2021

थाना आंवला जनपद बरेली।

थाना आंवला #bareillypolice द्वारा चार अफीम तस्कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चार किलो अफीम (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 40 लाख रु0) व एक मो0सा0 अपाचे व मोबाइल बरामद।

कस्बा आंवला जिला बरेली मे दिनांक 29/30.08.2021 की रात्रि मे मुखबिर खास कि सूचना पर थाना हाजा क्षेत्र मे बदमाशो के द्वारा संगीन घटना करने की फिराक मे घुमने की सूचना प्राप्त होने के आधार पर उक्त बदमाशो की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय आंवला के पर्यवेक्षण मे गठित की गई टीम एवम् प्रभारी निरीक्षक आंवला के नेतृत्व मे उ0नि0 श्री वेद सिंह थाना आंवला द्वारा चारों बदमाशो को मय चार किलो अफीम व एक मोटरसाइकिल अपाचे के गिरफ्तार कर बडे अफीम तस्करो को गिरफ्तार करने मे सफलता हासिल की गई है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 29.08.2021 की रात्रि मे मुखबिर खास के द्वारा प्राप्त सूचना की थाना हाजा क्षेत्र मे बाह्य प्रदेश के कुछ बदमाश किसी संगीन घटना को अंजाम देने के लिए घुम रहे है। श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय व थाना प्रभारी महोदय के द्वारा समस्त चौकी ईंचार्ज व हल्का प्रभारियो को मय फोर्स के उक्त बदमाशो की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र मे टीम बनाकर मामूर किया गया। जिसमे दौराने गस्त व रोकथाम जुर्म जरायम व चैकिंग संदिग्ध वाहन व्यक्ति मे मामूर उ0नि0 वेद सिंह के द्वारा मय हमराह टीम के मुखबिर की सूचना पर रात्रि 29/30.08.2021 पर 04 शातिर अफीम तस्कर 1. लखन मुण्डा पुत्र नारायन मुण्डा नि0 ग्राम बुरुडीह थाना तमाड़ जिला रांची राज्य झारखण्ड 2. उदय मुण्डा पुत्र सुखराम मुण्डे नि0 ग्राम कोरोवा थाना अड़की जिला खुटी राज्य झारखण्ड 3.ओमबाबू मोर्य पुत्र रोशनलाल नि0 मो0 गंज कुरेशियान कस्बा व थाना आंवला जनपद बरेली 4. कुंवरपाल पुत्र भोलेराम नि0 ग्राम लक्ष्मणपुर थाना आंवला जनपद बरेली को शिफा हास्पिटल के गेट के पास से 04 किलो अफीम व एक मोटरसाइकिल अपाचे के गिरफ्तार कर खरीद फरोख्त करते समय रात्रि दो बजे गिरफ्तार किया गया। जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 409/2021 धारा 8/18 NDPS ACT वनाम लखन मुण्डा व मु0अ0सं0 410/2021 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम उदय मुण्डा व मु0अ0सं0 411/2021 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम ओमबाबू व मु0अ0सं0 412/21 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम कुंवरपाल पंजीकृत होकर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही है। अभियुक्त शातिर किस्म के अफीम तस्कर है। जिनके द्वारा गहनता से पुछताछ पर प्रकाश मे आया कि कुंवरपाल उपरोक्त क्षेत्र का एक राष्ट्रीय स्तर पर अफीम की तस्करी करने वाला बडा तस्कर है। जो शिशुपाल निवासी ग्राम पुन्नापुर थाना वजीरगंज जनपद बंदायू जो इस समय अफीम तस्करी मे जिला कारागार शहाजानपुर मे बंद है के सम्पर्क मे आने पर काफी दिनों से झारखंड प्रदेश के अफीम तस्कर बोधीराम के द्वारा झारखंड के गरीब व बेरोजगार युवको को लालच देकर झारखंड से अफीम को जनपद बरेली मे जगह जगह अफीम तस्करो को सप्लाई कराता है। जिसमे झारखंड बोधीराम मुख्य एजेंट कुंवरपाल उपरोक्त व उसके साथियो के द्वारा झारखंड से बडे पैमाने पर अफीम तस्करी कराकर पंजाब के पटियाला शहर के तस्कर एक व्यक्ति जयपाल सिंह को थोक मे सप्लाई करता है। कुंवरपाल उपरोक्त के द्वारा शुरूआत में जनपद के किसानो से अफीम खरीदकर पंजाब पटियाला शहर मे सप्लाई करता रहा और ज्यादा मात्रा मे और ज्यादा लाभ प्राप्त करने के आशय से कुंवरपाल उपरोक्त शिशुपाल के माध्यम से बोधिराम के सम्पर्क में आया और बोधीराम के द्वारा कई बार झारखंड से अफीम महिलाओ व नए लडको के माध्यम से तस्करी कुंवरपाल तक की गयी। जो झारखण्ड से बोधीराम साठ हजार रुपये प्रति किलो खरीद कर 80 हजार प्रति किलो कुंवरपाल को आंवला के स्थानीय लोगो से सम्पर्क रहे हैं। स्थानीय तस्करो से भी कुंवरपाल द्वारा अफीम तस्करी का नेटवर्क चलाया जा रहा है। इसने अवैध धन से एक मकान आंवला मे खरीद कर उसे साढे तीन लाख रुपये लगाकर मोडिफाई किया है तथा करीब 10 लाख रुपये गांव मे तस्करी के धन से अपने मकान मे लगाया है। कुंवरपाल अफीम तस्करी कराकर कुछ पैसा नगद व कुछ पैसा बैंक एकाउंट मे अपने खाता व अपने चचेरे भाई राकेश पुत्र रामपाल के खाता से पैसा का आदान प्रदान का कार्य तस्करो के साथ किया जाता है। कुंवरपाल उपरोक्त अब तक एक वर्ष मे करीब 50-60 किलो अफीम जनपद व झारखण्ड से मंगाकर पंजाब प्रांत के पटियाला शहर मे जयपाल सिंह व करनाल सिंह उँचे

दाम पर बेचता है। पकड़े गये अभियुक्तों के मो० नम्बरो व बैंक खातो की डिटेल् खंगाल कर चिन्हित कर ठोस कार्यवाही करने हेतु टीम गठित की गई।

गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान का तरीका वारदात:- कुंवरपाल उपरोक्त झारखण्ड प्रांत के बोधीराम से अफीम बेरोजगार व गरीब युवको के माध्यम से लालच देकर कम कीमत पर कस्बा आंवला मे अपने मकान पर मंगाता है और पंजाब प्रांत के पटियाला शहर के अफीम के बड़े तस्कर जयपाल सिंह व करनाल सिंह को उंचे दाम पर तस्करी करता है। एवम पैसे का आदान प्रदान नगद व अपने व अपने चचरे भाई राकेश के बैंक खातो के माध्यम से किया जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. लखन मुण्डा पुत्र नारायण मुण्डा नि० ग्राम बुरुडीह थाना तमाड़ जिला रांची राज्य झारखण्ड
2. उदय मुण्डा पुत्र सुखराम मुण्डे नि० ग्राम कोरोवा थाना अड़की जिला खुटी राज्य झारखण्ड
3. ओमबाबू मोर्य पुत्र रोशनलाल नि० मो० गंज कुरैशियान कस्बा व थाना आवला जनपद बरेली
4. कुंवरपाल पुत्र भोलेराम नि० ग्राम लक्ष्मणपुर थाना आवला जनपद बरेली

बरामदगी का विवरण:- चार किलो अफीम(अन्तर्राष्ट्रीय कीमत करीब 40 लाख रुपये)व एक मोटरसाईकिल अपाचे संख्या UP25BZ8148 व पांच मोबाइल।

गिरफ्तार अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं० 409/2021 धारा 8/18 NDPS ACT वनाम लखन मुण्डा
2. मु०अ०सं० 410/2021 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम उदय मुण्डा
3. मु०अ०सं० 411/2021 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम ओमबाबू
4. मु०अ०स० 412/21 धारा 8/18 NDPS ACT बनाम कुंवरपाल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह थाना आँवला जिला बरेली।
2. उ०नि० श्री वेद सिंह थाना आँवला जिला बरेली।
3. उ०नि० प्रवीण चौहान थाना आँवला जिला बरेली
4. हे०का० 608 सतीश कुमार मिश्रा थाना आँवला जिला बरेली।
5. का० 1608 मिर्जा उमर दराज बेग थाना आँवला जिला बरेली।
6. का० 2149 विपिन कुमार थाना आँवला जिला बरेली।
7. का० 89 बन्टी कुमार थाना आँवला जिला बरेली।